भाग २ अध्याय ६

श्रमनीति

सुरक्षा एवं स्वास्थ्य

—भारतीय मजदूर संघ

'Labour Policy' पुस्तक के अध्याय क्र० ९ का यह हिन्दी रूपान्तर है। डा० महेन्द्र प्रताप सिंह (प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय) इस अध्याय के अनुवादक हैं। उनका मैं हृदय से आभारी हूं।

—प्रकाशक

"सुरक्षा एव स्वास्थ्य"

कुछ ऐसे उद्योग हैं– जैसे फैक्टरियाँ, खनिज उद्योग, गोदी कर्मचारी, पैट्रो कैमिकल्स, उर्वरक निर्माण और यंत्र निर्माण इत्यादि, जिनके संचालन में सुरक्षा के पगों की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमें ऐसी संस्थाओं के सम्बन्धों में सूचनायें उपलब्ध हैं, जहाँ दुर्घटनाओं की वर्तमान दर अधिक है। यद्यपि सभी खतरे वाले उद्योगों के लिए कुछ निश्चित समान लक्षण होते हैं। यह अधिक व्यवहारिक होगा कि किसी ऐसे उद्योग को उदाहरण स्वरूप लेकर इस संदर्भ में सुरक्षा और स्वास्थ्य की समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाय। उदाहरण स्वरूप हम कोयले की खानों में सुरक्षा समस्या पर विचार करना चाहेंगे। खानों के मुख्य निरीक्षक द्वारा, खानों की सुरक्षा समस्या पर तैयार की गई एक टिप्पणी जिसे धनबाद के खानों की सुरक्षा की 'राष्ट्रीय कौंसिल' ने प्रसारित किया है, उसमें अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त एक चित्रलेख (Chart) दिया हुआ है, जिसमें कुछ विदेशों की कोयले की खानों की मृत्यु दरें और भारतवर्ष की कोयला और इतर खानों की दुर्घटना दरें दी गयीं हैं। इस टिप्पणी में कहा गया है कि भारत की खानों से सम्बन्धित सुरक्षा वृत्त विश्व के किसी भी देश के खान उद्योग के सर्वोत्तम वृत्त से तुलना करता है और देश के अन्तर्गत यद्यपि १९५४–५५ और ५७ में भयंकर दुर्घटनायें हुयीं, तथापि पिछले १० वर्षों में सामान्यतः कम दुर्घटनाओं की ओर जाने की प्रवृत्ति रही है। परन्तु टिप्पणी इस सम्बन्ध में सन्तोष करने के स्थान पर सावधान करती है। (१ भारत, इंगलैंड और अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रान्स के कोयलों की खानों के निरीक्षक मण्डलों की शक्ति के तुलनात्मक चित्रलेख और (२) इस अतिरिक्त तथ्य कि उन सब देशों में ट्रेड यूनियनों के द्वारा काफी बड़ी सख्या में पूरा समय देकर काम करने वाले प्रशिक्षित निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है। और प्रत्येक बड़े खान में एक या अधिक पूरा समय देकर काम करने वाले सुरक्षा अधिकारी होते हैं, के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त टिप्पणी में भारतीय खानों की अतिनिरीक्षण सम्बन्धी (Over Inspection) शिकायत का परित्याग कर दिया गया है। इसके विरुद्ध उस टिप्पणी में इस बात का जोर

दिया गया है कि इस विकासमान उद्योग की बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार अधिक विद्युत, यांत्रिक, सांख्यकीय एवं चिकित्सा सम्बन्धी निरीक्षकों एवं काफी मात्रा में विशेषज्ञ निरीक्षकों की नियुक्ति की जाय। निरीक्षक मण्डल के चिकित्सा विद्युत निरीक्षण, सांख्यकीय अनुसन्धान और विधि सम्बन्धी सहायता के विभागों को दृढ़ करने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

हमारे निरीक्षक मण्डल की महान उपयोगिता को स्वीकार करते हुये हम केवल यही कह सकते हैं कि ऐसा निरीक्षक मण्डल पूण रूप से समुचित नहीं हो सकता है। इस बात की आशा करना बहुत अधिक ही माना जायगा कि निरीक्षक मण्डल खानों में सभी कार्यकारी क्षेत्रों पर बराबर नियन्त्रण रख सके। अनेक पहलू जिन पर बराबर और सतर्कता पूर्वक निरीक्षण किया जाना चाहिए। जैसे उनकी विशाल संख्या और खानों की सतत् परिवर्तनकरी परिस्थितियां ऐसे ये दो तत्व हैं जो निरीक्षक मण्डल के कार्यों की सीमाओं के लिए उत्तरदायी हैं। इस तथ्य को इंगलैण्ड की खानों पर नियुक्त द्वितीय रायल कमीशन (१९०९) एवं कोयले की खानों में सुरक्षा पर नियुक्त राँयल कमीशन (१९३६-३८) में दिये गये विचार भी पुष्ट करते हैं।

फलतः यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि कोयले की खानों की सुरक्षा समस्याओं के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाय, न कि उसे केवल निरीक्षक मण्डल को ही सौंप दिया जाय। समस्या के आकार की विशालता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि शताब्दी के प्रारम्भ से १९६२ तक खानों में मरने वालों की संख्या १६४७४ थी, जिसमें से १२१५ अर्थात् ७॥% उन दुर्घटनाओं में मरे जो १० या उससे अधिक से सम्बन्धित थीं। सारे विश्व में कोयले की खानों में दुर्घटना दरें फैक्टरियों की अपेक्षा तीन से आठ गुनी अधिक हैं।

सभी खानों में निम्नलिखित प्रमुख समस्यायें पाई जाती हैं :—

(१ भूमि के नीचे कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये प्रत्येक स्थान पर गरमी और नमी को कम रखते हुये ताजी हवा की व्यवस्था।

(२) भूमि के नीचे समुचित विद्युत प्रकाश की व्यवस्था।

(३) पानी के निष्कासन की व्यवस्था।

(४) भूमि के नीचे पाये जाने वाले कोयले और अन्य धातुओं के ऊपरी सतह तक पहुंचाने का प्रबन्ध ।

(५) छतों की रोक और नियन्त्रण ।

कुछ विशेष प्रकार के कारण हैं, जो अधिक मृत्युकारक दुर्घटनायें उत्पन्न करते हैं :— (१) विस्फोट (२) जलप्लावन (३) चट्टान फटना (४) गहरे शाफ्टों (चक्कों) में फँस जाना तथा (५) आग लग जाना ।

कोयले की खानों में व्यवसायिक रोग

निम्नलिखित कारणों से कोयले की खानों में खतरा उत्पन्न होता है :—

(१) ड्रिलिंग (Drilling), कटिंग, बालर सटिंग, लोडिंग तथा परिवहन की प्रक्रिया में बहुत ही महीन बालू के कण व मिश्रित धूल के उत्पन्न होने से अनेक प्रकार की न्यूमोनिया हो जाती हैं ।

(२) अपर्याप्त प्रकाश के कारण खान के कर्मचारियों को अनेक प्रकार के नेत्र रोग हो जाते हैं ।

(३) पर्याप्त शुद्ध वायु न मिलने के कारण कर्मचारियों को गर्मी, शक्तिक्षय एवं थकान के रोग हो जाते हैं । और

(४) अस्वस्थ वातावरण के कारण अनेक प्रकार के ऐसे रोग हो जाते हैं, जो खानों के लिए विशिष्ट हैं और कुछ रोग जो कि सामान्यतः होते रहते हैं ।

किसी भी काम में कार्य क्षेत्र प्रति घण्टा परिवर्तित होता रहता है और नई भूमि नई समस्यायें उत्पन्न करती हैं । खान का सतत् बदलने वाला चित्र गम्भीर अध्ययन का विषय नहीं बन पाता । फैक्टरियों की अपेक्षा खानों के उद्योग में यही विशेष अन्तर है । प्रकृति के विरुद्ध यह एक सतत संघर्ष है । उदाहरण के लिये जैसे छतों और किनारों को गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के विरुद्ध दृढ़ता से टिकाए रखना पड़ता है । खानों का कार्य और अधिक कठिन और विषम होता जा रहा है क्योंकि :—

(१) जहां धातुयें मिलती हैं उन स्थानों की गहराई बढ़ती जा रही है ।

(२) यंत्रों का प्रयोग अधिक हो रहा है तथा उत्पादन की गति तीव्र हो रही है। व्यवस्थापक उत्पादन की लागत में बड़ी बचत करने के उत्साह में सुरक्षा के पहलू को समुचित महत्व नहीं देते हैं। कोयले की खानों में सुरक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट (१९५६) यह स्पष्ट करती है कि किस प्रकार से व्यवस्थापकों एवं श्रमिकों की ठीक प्रवृत्ति के अभाव में नियमन अप्रभावी होता जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि इस प्रश्न की जांच की जाय कि निरीक्षक मण्डल के घोर प्रयत्नों के उपरान्त भी क्यों दुर्घटनायें होती हैं ? तो यह देखने में आयेगा कि जो कोयले की खान के उद्योग में कार्य करते हैं उनकी खराबियां और असफलतायें, सत्ता द्वारा हस्तक्षेप के फलस्वरूप न हल होने वाली अनेक समस्यायें हैं। इस दृष्टिकोण से श्री एस० के० दास द्वारा 'धोरी कोयले की खान दुर्घटना' की जांच की रिपोर्ट १९६५ का विशेष अध्ययन उपयोगी होगा। इसमें धोरी कोयला खान की दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में दो परस्पर विरोधी सिद्धान्त लिखे गए हैं, जिनमें से एक खानों के विभाग और दूसरा व्यवस्थापकों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। श्री आर० पी० सिन्हा द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापकों का सिद्धान्त पूर्ण रूप से टूट चुका है और मैनेजर के वक्तव्य पर अविश्वास किया गया है। इस सम्बन्ध में श्री दास के अनुभव और सुझाव उपयोगी हैं :—

(१) ऐसी खानों में भी जहां गैस नहीं होती है, भूमि के नीचे कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को विद्युत कैप वाले लैम्प दिये जाने चाहिये।

(२) जहाँ "सक्रिय रूप में गैस युक्त" और "प्रावधिक रूप से गैस युक्त" चट्टानों के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न होती वहां "सक्षम गैस युक्त" चट्टाने कठिनाई उत्पन्न करती हैं। यह स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए कि १९६२ के सरक्यूलर नम्बर ५२ में संकल्पित सर्वेक्षण कौन नियन्त्रित करेगी ?

(३) भारत के भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के परामर्श द्वारा यह विचार किया जाना चाहिए कि नियमन में निर्धारित ३० मीटर की सीमा सुरक्षा सीमा है अथवा नहीं ? कोयले की खानों के सन्नियम १९५७ के नियम १२४ में व्यवस्था की गई है कि किसी खान में जहां सन्नियमों के अनुसार सुरक्षा लैम्पों का प्रयोग आवश्यक नहीं है, यदि कार्य करते समय किसी पुलिया, गड़बड़ी या भूगर्भ सम्बन्धी विचलन के ३० मीटर के भीतर कर्मचारी पहुंच जाय तो निरीक्षण के

लिये नियुक्त योग्य व्यक्ति को निरीक्षण करते समय प्रमाणित फ्लेम सेफ्टी लैम्प द्वारा जानने वाली गैस की उपस्थित की जांच अवश्य करनी चाहिये ।

(४) भविष्य में सभी माइनिंग सरदारों, शैट फायरिंग सरदारों और ओवर मैनों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वे खान के वातावरण में CH_4 की उपस्थिति की जांच कर सकें । सभी माइनिंग सरदारों, शैट फायरिंग सरदारों तथा ओवर मैनों के प्रमाण पत्रों पर गैस की जांच के लिये उनकी योग्यता सम्बन्धी टिप्पणी निश्चित अवधि के बाद पुनः नवीकृत की जानी चाहिए ।

(५) किसी भी गैस युक्त या गैस विहीन खान में जहाँ फ्लेम या विद्युत लैम्पों का प्रयोग किया जा रहा हो, उनकी अच्छी और सुरक्षा युक्त स्थिति का ठीक रख-रखाव करना खान के व्यवस्थापकों की जिम्मेदारी और उनका कर्तव्य होना चाहिये ।

(६) खान उद्योग में कोयले की धूल के विस्फोट भयंकर खतरा उत्पन्न करते हैं और प्रायः बिना किसी बदल के ऐसे विस्फोट फायर डैम्प विस्फोट होते हैं और इनके लिये निम्नलिखित बातें आवश्यक होती हैं—

(अ) विस्फोटजनक अग्नि आद्रता एवं वायु का मिश्रण ।

(ब) अग्नि उत्पन्न करने का उद्‌गम ।

(स) असुरक्षित मार्ग की लम्बाई जो कि विस्फोट के प्रसार को रोके । यदि आवश्यक हो तो कोयले की खानों के सन्नियम १९५७ के नियम १२३ में दी गयी आवश्यक कोयले की धूल के प्रति सावधानियों का पालन करने के विरुद्ध निरीक्षक कर्मचारियों की शक्ति को बढ़ा देना चाहिए जो कठिन प्रयत्न द्वारा उसे रोक सकें ।

(७) एक गैसयुक्त और एक गैस रहित खान के कर्मचारियों, अफसरों और व्यवस्थापकों के मस्तिष्कों में अनेक मानसिक अन्तरों की उपस्थिति के विचार से कुछ सामान्य सावधानियों को सभी प्रकार की खानों में चाहे वे गैस-युक्त हों या गैस रहित विशेष रूप से कार्य करते समय लागू किया जाना चाहिए जैसे प्रत्येक खान को प्रत्येक कार्यकारी स्थान में गैस की परीक्षा और ऐसे सब

स्थानों में जो कि कार्यकारी स्थान से ३०० फीट के अन्तर में ही परीक्षा करनी चाहिए। और इसके लिये अधिक सही और अधिक संवेदनशील यंत्र का सेफ्टीलैंप या वायु के (सैम्पुल) न्यादर्शों के विश्लेषण के स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। यह कार्य प्रति मास या उससे अधिक बार सहायक मैनेजर या मैनेजर द्वारा किया जाना चाहिए जिसके पास प्रथम श्रेणी का या द्वितीय श्रेणी का प्रमाण पत्र हो। यह कार्य मैनेजर और सहायक मैनेजरों के बीच बटा होना चाहिये।

(८) गैस युक्त खानों में वर्तमान विधान के अनुसार पूरी खान को वायु संचारक (बैंरीलेटर) यंत्र जो खान के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया जाय, वायु संचारित किया जाना चाहिए। गैस रहित खानों में भी उत्तम वायु संचारण की सिद्धि के लिये पग उठाये जाने चाहिये। प्राकृतिक रूप से वायु संचारित खान में यह व्यवहारिक रूप से असम्भव होता है कि खानों के प्रावधिक कमेटी द्वारा सुझाये गये सुरक्षा प्रमाण को प्राप्त कर सके। अतः नियमन में दिये गये समुचित वायु संचारण शब्द को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिये और उसमें कमेटी के सुझाव के अनुसार वायु के परिमाण इत्यादि विचारों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। यद्यपि गैस रहित खानों में जो बहुत छोटी हों या जिनके विकास की प्रारम्भिक स्थिति हो, उन्हें खानों के निरीक्षक की लिखित अनुज्ञा द्वारा प्राकृतिक वायु संचारण के प्रयोग की विशेष छूट दी जानी चाहिए। और निरीक्षक मण्डल द्वारा प्रति वर्ष निरीक्षण के पश्चात इस छूट की नवीकरण किया जाना चाहिये। दूसरी गैस रहित खानों में जहाँ विकास सम्बन्धी कार्य हो रहा हो, वायु का बहाव ०.५ एम प्रति सेकेन्ड से कम न होना चाहिये। यदि प्राकृतिक वायु संचारण उपरोक्त आवश्यकता को पूर्ण न करता हो तो मुख्य मार्ग पर या खान के प्रवेश द्वार पर समुचित क्षमता वाले अतिरिक्त पंखों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सामान्यतया जैसे ही मार्ग डेढ़ खम्ब तक बढ़ जाय या पिछले वायु संचारण यन्त्र से १५० फीट आगे बढ़ जाय तो वायु संचारण व्यवस्था करना अनिवार्य होना चाहिये।

(९) सुरक्षा सप्ताओं का प्रयोग करना चाहिये, जिस उद्देश्य से वे बनाये गये थे।

(१०) इस प्रकार के प्रस्तावों के लिए कोई सुझाव नहीं दिया जाता है, जैसे—(अ) कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण।

(ब) सरदारों व ओवरमैनों का राष्ट्रीयकरण।

(स) निष्कासन सेवानिवृत्ति या अवरोध, मैनेजरों या सहायक मैनेजरों का जिनके लिए खानों के मुख्य निरीक्षक को लिखित सहमति हो।

(द) प्राविधिक और योग्य व्यक्तियों के समूह (Poll) का निर्माण।

(य) प्रत्येक खान से ५ मील की त्रिज्या के भीतर अपमोचन अवस्थान का निर्माण।

(११) खानों के विभाग को विचार करना चाहिए कि किसी भी बड़ी दुर्घटना के पश्चात् श्रमिक की पहिचान सम्बन्धी कठिनाई को कैसे दूर किया जाय (संदर्भ स्वरूप यह जानना रुचिकर होगा कि विभिन्न पक्षों द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि कुछ विदेशों में चट्टानों की धूल के अवरोधों को खड़े करने के कार्य को भारत के गैसयुक्त खानों में भी बनाया जाना चाहिए, जिससे कोयले की धूल के विस्फोट से उत्पन्न खतरे को न्यूनतम किया जा सके)।

खानों के सन्नियम १९५५ के नियम २२ जो कि व्यय की प्राप्ति के सम्बन्ध में है, की दुरूहता पर भी विचार किया गया था, और एक पक्ष के द्वारा यह सुझाव रखा गया कि अनुसंधान के खर्चों में सभी प्रकार की लागतें शामिल की जानी चाहिये।

खानों में सुरक्षा सम्बन्धी प्रथम कान्फ्रैन्स (१९५८-५९) में निम्नलिखित विषयों पर अनेक मूल्यवान सुझाव प्रस्तुत किये गये थे :—

(१) व्यवसायी प्रशिक्षण एवं खान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षा सम्बन्धी शिक्षा।

(२) गैस, धूल एवं शक्तिक्षरण इत्यादि से उत्पन्न होने वाले खतरों से सम्बन्धित प्राविधिक मामले, वायु संचारण के मान दंड प्रकाश एवं योजना की परिशुद्धता, छतों के नियन्त्रण, यंत्रीकरण एवं विस्फोटकारी वस्तुओं के प्रयोग से सम्बन्धित समस्यायें।

(३) सुरक्षा सम्बन्धी मामलों में उत्पादन में कार्य करने वाले अफसरों की जिम्मेदारी और व्यवस्थापकों का व्यवहार सुरक्षा को प्रोत्साहन देने में श्रमिकों का स्थान और अनुशासन की आवश्यकता।

(४) श्रमिकों की उपयुक्तता एवं वैयक्तिक सुरक्षा सम्बन्धी परिवेष ।

(५) खानों की सुरक्षा सम्बन्धी कानून के पालन की व्यवस्था और पालन करने वाली एजेन्सी का कार्य ।

(६) सुरक्षा सम्बन्धी यंत्रों और वस्तुओं की प्राप्यता ।

(७) क्षति पूर्ति एवं पुनर्वासन ।

कान्फ्रैन्स ने यह सुझाव दिया कि प्रत्येक खान में कार्य करने वाले श्रमिक का नौकरी के प्रारम्भ में और उसके पश्चात निश्चित अवधि के उपरान्त बराबर स्वास्थ्य सम्बन्धी परीक्षण किया जाना चाहिये, तदुपरान्त अनेक विषय सम्बन्धी समितियाँ, एक स्थायी सुरक्षा सुझाव समिति और खानों में सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कौंसिल बनाई गई जिनके विषद् उद्देश्य थे । वर्तमान सीमाओं के परिवेक्ष में खानों की सुरक्षा सम्बन्धी यंत्रों की कमेटी के अनुभव और सुझाव संतोषजनक हैं । देश को जहाँ तक सुरक्षा यंत्रों का सम्बन्ध है, आत्मनिर्भर हो जाना चाहिये और अपवाद स्वरूप केवल वही वस्तुयें रखी जायँ जिनका निर्माण अति विशिष्ट है अथवा जिनके लिये देश में आर्थिक उत्पादन करने के लिए अपर्याप्त माँग है ।

ठीक माप के यंत्रों के पुर्जे जो कि स्वीकृत डिजाइन और प्रमाप के हों, उनकी सरलता से प्राप्यता अत्यन्त महत्वपूर्ण है, न केवल उत्पादन वृद्धि के लिए वरन वर्तमान उत्पादन स्तरों को बनाये रखने के लिए भी आवश्यक है । यह सत्य है कि हमारी खानों में प्रयुक्त होने वाले यत्रों में अधिकतर विदेशों में निर्मित हैं । और उनमें लगने वाले कल-पुर्जे अधिकृत डिजायन के हैं इसीलिए इन पुर्जों को आवश्यकता के अनुसार आयातित करना पड़ता है और इन कल-पुर्जों का देश में निर्माण केवल तभी सम्भव है जब मूल निर्माताओं से अनुज्ञा प्राप्त कर ली जावे । परन्तु कल-पुर्जों के बनाने की समुचित क्षमता का प्रारम्भ से ही विकास किया जाना चाहिये । जहाँ तक खान उद्योग के लिए सुरक्षा यंत्रों और कल-पुर्जों के आयात का प्रश्न है । उद्योग की आवश्यकता की समय से पूर्ण रूप से पूर्ति की जानी चाहिये । आयात सम्बन्धी आवेदनों पर अनुज्ञा प्रदान करने का अधिकार खानों के सुरक्षा यंत्रों के सम्बन्ध में खानों के मुख्य निरीक्षक को ही होना चाहिए, जो अति आवश्यक और उचित मामलों में ऐसी भी वस्तुओं के आयात

की अनुज्ञा दे सके, जिनका निर्माण देश में हो सकता है। कल-पुर्जों की आवश्यकता की पूर्ति के सम्बन्ध में प्रतिष्ठित आयात कर्ताओं का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे फुटकर कल-पुर्जे तत्काल प्राप्य रहें और खुले बाजार में खरीदे जा सकें। एक स्थायी खान सुरक्षा यंत्र सलाहकारी बोर्ड बनाया जाना चाहिये, जो सतत पुनर्आकलन करता रहे और खानों के सुरक्षा यंत्रों की प्राप्यता के सम्बन्ध में सलाह देता रहे।

सबसे महत्वपूर्ण परन्तु दुर्भाग्य से सबसे अधिक उपेक्षित पहलू खान उद्योग में श्रमिकों के व्यवसायिक प्रशिक्षण का है। खानों के श्रमिकों में अधिकतर श्रमिक गाँव से भर्ती किये गये नए व्यक्ति होते हैं जिन्हें भूमि के नीचे कार्यों में लगा दिया जाता है और इससे पहिले कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता जिससे वे अपने कार्य से सम्बन्धित तत्वों या सुरक्षा से सम्बन्धित सिद्धान्तों को जान सकें। अनुभवी श्रमिकों की अपेक्षा नये प्रवेशकर्ता ही दुर्घटनाओं से ग्रस्त होते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कोयले की खानों पर नियुक्त कमेटी ने अपनी सुरक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट १९५६ में इस बात पर जोर दिया कि दुर्घटनाओं के रोकने के संघर्ष में खान में कार्य करने वाले श्रमिकों का व्यवसायिक प्रशिक्षण अत्यन्त आधारभूत तत्वों में से एक है, और यह भी कहा है प्रशिक्षण की चाहे जो भी रीति अपनाई जावे, सुरक्षा आवश्यकताओं का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए। खानों में कार्य करने की कला का यह प्रमुख अंग है कि खानों के कार्य में होने वाले खतरों का ज्ञान और उनको रोकने की सही रीतियाँ मालूम हों। इस प्रकार का प्रशिक्षण अधिक कुशल और योग्य श्रमिक उत्पन्न करने में सहायक होगा। खानों में कार्य की गहरी प्रणाली और यंत्रों और विस्फोटकों के बढ़ते हुये प्रयोग के कारण जो अतिरिक्त खतरे पैदा हो गये हैं, उनके लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है।

प्रशिक्षण सम्बन्धी उपसमिति ने प्रशिक्षार्थियों के चुनाव सैद्धान्तिक और गैलरी प्रशिक्षण, निर्देशित कार्यकारी प्रशिक्षण प्रशिक्षक, प्रशिक्षार्थियों को प्रमाणित करना, प्रशिक्षण के काल में छात्रवृत्ति, धरातल पर कार्य करने अथवा खुले मैदान में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण की अवधि में कमी गैसयुक्त खानों के लिये विशेष प्रशिक्षण, दक्षता वर्ग, ट्रैक तैयारी करने का प्रशिक्षण, विस्फोटकों के प्रयोग का प्रशिक्षण और गैस की परीक्षा के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में यथोचित

सुझाव प्रस्तुत किये हैं। इस परियोजना में खान के स्तर पर प्रशिक्षण की संकल्पना न केवल नए प्रवेशकर्ताओं के लिये वरन् अन्य खान के श्रमिकों के लिए भी है। इस कार्य में न्याय करने के निमित्त निरीक्षक मण्डल को बल प्रदान करने के लिए इस परियोजना में इंगलैंड के खान विभाग की व्यवस्थाओं के समान प्रशिक्षण विभाग के निर्माण का सुझाव दिया है। इस कमेटी ने विभिन्न प्रकार के वर्गों के लिये सामान्य सलाह का प्रतिवादन किया है और उसको प्रकाशित किया है जो कि माइनर और लोडर, ट्रेलर, टिन्डल, टिम्बर मैन, हैमर इत्यादि सम्मिलित हैं।

जहाँ तक खानों की सुरक्षा, शिक्षा एवं प्रचार का सम्बन्ध है, हम इस उद्‌श्य के लिए नियुक्त कमेटी के निम्नलिखित पर्यवेक्षण और सुझावों के प्रति संतोष अनुभव करते हैं :—

(१) सुरक्षा, शिक्षा और प्रचार इत्यादि की आवश्यकता (खंड २ पृष्ठ ८)

(२) खान श्रमिकों की सुरक्षा शिक्षा (खंड ३ पैरा ४–१)

(३) निरीक्षक कर्मचारियों के लिए सुरक्षा शिक्षा (खंड ३ पैरा ४–२)

(४) सुरक्षा सम्बन्धी भाषणों में उपस्थिति निश्चित करना (खंड ३ पैरा ४–३)

(५) अफसरों की सुरक्षा सम्बन्धी बैठकें (खंड ३ पैरा ४–४)

(६) सुरक्षा सम्बन्धी प्रचार (खंड ४ पैरा २–१)

(७) सुरक्षा प्रकल्प एवं सुरक्षा सप्ताह (खंड ४ पैरा २–३)

(८) वैयक्तिक श्रमिकों, निरीक्षक अफसरों एवं मैनेजरों तथा व्यवस्थापकों के लिए सुरक्षा पुरष्कार (खंड ५ पैरा ३–१)

(९) सुरक्षा पोस्टर प्रतियोगिता (खंड ५ पैरा ३–२)

(१०) सुरक्षा सम्बन्धी सुझावों के लिये पुरस्कार (खंड ५ पैरा ३–३)

(११) प्राथमिक चिकित्सा प्रतियोगितायें (खंड ५ पैरा ३–४)

(१२) बीरता के लिए पुरस्कार (खंड ५ पैरा ३–५)

(१३) सुरक्षा सम्बन्धी स्लाइड, फिल्म एवं वृत्त चित्र (खंड ९ पैरा ३)

यद्यपि उपरोक्त सुझाओं में से अनेक लागू होने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। इस मामले पर अधिक ईमानदारी से और तेजी से कार्य किया जाना चाहिए,

जिससे जब इन पगों को अपना लिया जाय, वह केवल जीवन विहीन शोभा मात्र न रह जायँ।

खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के थकान की समस्या का भी पूर्ण अध्ययन किया जाना चाहिये। दुर्घटनाओं में फँसे हुये श्रमिकों को दी जाने वाली क्षति पूर्ति की दरें और अधिक बढ़ा दी जानी चाहिये और पेन्शन के भुगतानों के स्थान पर एक ही बार पूरा भुगतान किया जाना चाहिए। परिवर्तित परिस्थिति के प्रकाश में व्यवसायिक रोगों के लिए क्षतिपूर्ति की दरें पुर्ननिर्धारित किया जाना चाहिये। खानों की सुरक्षा सम्बन्धी कानून का सतत पुनर्आंकलन किया जाना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक हो जाता है कि, क्योंकि नई खानों की कार्य रीतियाँ और नये यंत्र प्रयोग और नये-नये धातुओं के भण्डारों की खोज और नये-नये शोध सम्बन्धी निष्कर्ष प्राप्त हो रहे हैं। वर्तमान समय में खान विधेयक (१९५९) के उद्धार नियमों और कोयला खानों सन्नियम १९५७ में सशोधन की आवश्यकता है (खान विधेयक में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि खानों का निरीक्षण श्रमिकों के प्रतिनिधि भी कर सकें)।

खानों की विकास योजनाओं की पूर्व परीक्षा उसी प्रकार की जानी चाहिए जैसी कि जर्मनी, पैन्सिलवेनिया, नीदर लैंड, कनाडा और वेल्जियम में की जाती है। और इस उद्देश्य के निमित्त एक खान विकास बोर्ड बनाया जाना चाहिए। धातुओं की सुरक्षा और बचाव तथा असुरक्षित क्षेत्रों में बने भवनों के उद्धार के हित में खानों की सम्पत्ति पर भवन निर्माण पर नियन्त्रणकारी पग उठाये जाने चाहिए। इस उद्देश्य के निमित्त बिहार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समितियों के समान समितियाँ अन्य राज्य सरकारों द्वारा बनाई जानी चाहिए। कोयले की खानों में उद्धार स्थानकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। जिन स्थानों पर श्रमिकों का अधिक केन्द्रण होता है उनका अनुमान पहिले से लगाया जाना चाहिये। क्योंकि अधिक यंत्रीकरण का अर्थ होता है विद्युत और विस्फोटकों का अधिक प्रयोग और दोनों में ही खतरा उत्पन्न करने की क्षमतायें हैं। और जहाँ श्रमिकों का अधिक केन्द्रण होता है वहाँ दुर्घटनाओं में एक अधिक बढ़ी संख्या में श्रमिक आबद्ध हो जाते हैं।

हमारी वर्तमान परत सम्बन्धी परिस्थितियों में कार्यविरोध की घटना का पूर्ण [illegible] किया जाना चाहिए। विशेषतया द्वितीय कार्य काल में छत और परत [illegible]ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। इस सम्बन्ध में वर्तमान

कमियों को रिक्त स्थानों पर बालू जैसी अज्वलनशील वस्तुओं से भर कर दूर किया जा सकता है। भारतीय परिस्थितियों में बालू का प्रयोग सर्वोत्तम हल है, परन्तु खम्भनाश कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली प्रत्येक समस्या के लिए बालू का प्रयोग रामबाण नहीं है और प्रायः समुचित मात्रा में प्रयोग की जाने वाली वस्तुयें प्राप्य भी नहीं हैं। विशेषज्ञों को निश्चय करना चाहिए कि छत की रोक के लिए कौन सी रीति भारतीय परिस्थितियों में उचित होगी। हमारे देश में गैसयुक्त खानों में इस बात का निश्चय किया जाना चाहिए कि कोयले की धूल के विस्फोट की सम्भावना के विरुद्ध क्या पत्थर और धूल के अवरोध लाभप्रद रूप से प्रयोग हो सकते हैं। यद्यपि समस्या की प्रकृति के कारण सुरक्षा समस्या के सभी पहलुओं के प्रति निरीक्षक मण्डल से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह पूर्ण न्याय कर सकें। परन्तु निरीक्षक मण्डल की संख्या शक्ति बढ़ाने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

जहाँ तक सुरक्षा के मामलों का प्रश्न है प्रतियोगिता की भावना अत्यन्त सहायक होगी। दूसरे देशों में इसी भावना ने सुरक्षा चेतना को प्रोत्साहित किया है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम आयोग के छठे सत्र में (इस्तम्बूल १९५६) में कोयला खान कमेटी की कोयले की खानों में सुरक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट में सुरक्षा के मामलों में खान के कर्मचारियों की प्रेरणा को बढ़ावा देने वाले पगों के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये थे। उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि फ्रान्स और जर्मनी के समान सुरक्षा बोनस की व्यवस्था की जाय। इस रिपोर्ट में जर्मनी में प्रयुक्त दो सूत्रों का वर्णन किया गया है। जिसमें से एक अत्यन्त सरल और त्वरित भुगतान देने वाला है। उसी रिपोर्ट में रूर में स्थिति गैल-सैनकीन के "कन्सौलीडेशन" एवं "उनसेर फ्रिट्ज" की खानों द्वारा किये गये अत्यन्त आकर्षक प्रयोग का वर्णन किया गया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि एक कुशलता पूर्वक निर्मित सुरक्षा बोनस की योजना उत्साह एवं सहयोग की प्रेरणा देने वाली प्रभावी योजना है जो न केवल निरीक्षकों को ही वरन् खान के श्रमिकों को भी उत्साह देती है इस रिपोर्ट में निम्नलिखित सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है, जिस पर प्रत्येक सुरक्षा बोनस की योजना आधारित की जानी चाहिए :—

"गणना की रीति सरल और शीघ्र समझ में आने वाली होनी चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए, जो [illegible] के लिए एक वा[illegible]क

मौका प्रदान करे, बोनस का भुगतान बिना किसी देरी के किया जाना चाहिए। जिससे जिस समय भुगतान किया जा रहा हो, श्रमिकों को यह ज्ञात हो कि किस अवधि के लिए बोनस की गणना की गई है और अन्त में यह भी कहना है कि बोनस की प्रभाव प्रदता बढ़ाई जा सकती है, यदि उसका भुगतान साधारण मजदूरी के भुगतान से स्पष्ट रूप में अलग रखा जाय और ऐसी स्थिति का चुनाव किया जाय, जब कि यह द्विगणित प्रशंसा का विषय बन जाय अर्थात् महीने का अन्तिम सप्ताह।"

रिपोर्ट में खानों के विभिन्न विभागों के बीच एक प्रकार को प्रतियोगिता को प्रविष्ट करा देने की प्रशंसा की गई है। प्रतियोगिता अनुकृति को प्रोत्साहित करती है। "नार्ड और पास्डोकैले" की खानों में एक विशिष्ट सुरक्षा पुरष्कार की स्थापना की गई है और अन्य खानों में उसका प्रसार विचाराधीन है। अमेरिका में कोयले की कुछ खानें अपनी खानों में सुरक्षा प्रतियोगिताओं की व्यवस्था करती है और निर्धारित अवधि के पश्चात् उस खान को नगद पुरष्कार दिया जाता है, जिसने सर्वोत्तम प्रतिफल प्राप्त किये हों। अन्य खानों में ऐसी प्रतियोगितायें आयोजित की जाती हैं, जो उस खान श्रमिक को बढ़े दिन पर पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती हैं, जिसने वर्ष भर कुछ निर्धारित सुरक्षा व्यवस्थाओं का पालन किया हो। हम कुछ प्राथमिक सहायता प्रतियोगिताओं का भी स्मरण कर सकते हैं, जिन्होंने अमरीका के खान श्रमिकों के बीच काफी उत्साह का निर्माण किया है। ऐसा दल जो क्षेत्रीय पुरष्कार, राज्य पुरष्कार या राष्ट्रीय पुरष्कार प्राप्त करता है, उसे नगद पुरस्कार, एक बैजयन्ती या अन्य सम्मान प्रदान किये जाते हैं। अन्त में उल्लेख उस होम्स एसोसिएशन का भी किया जा सकता है, जिसका प्रभाव अमेरिका के खानों की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण रहा है। यह संस्था ऐसी खानों को समुचित पुरष्कार और सम्मान प्रदान करके सुरक्षा आन्दोलन को प्रेरणा देती है, जिन्होंने सुरक्षा का एक उच्च प्रतिमान् प्राप्त किया हो और उन खान श्रमिकों को भी पुरष्कृत करती है, जिन्होंने २० वर्ष या अधिक बिना किसी दुर्घटना के कार्य किया हो। पोलैण्ड में एक विशिष्ट कोष की स्थापना की गई है, जिसमें से प्रति वर्ष सामूहिक पुरष्कार उन खानों को, जिन्होंने औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में सर्वोत्तम प्रतिफल प्राप्त किये हैं और उन श्रमिकों और निरीक्षकों को जिन्होंने बिना दुर्घटना के कार्य किया है अथवा जिन्होंने खानों में औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुधारने में महान योगदान किया है, दिया जाता है। उदाहरणों की इस श्रृंखला

में अन्य देशों के अनेक उदाहरण जोड़े जा सकते हैं।

जहाँ उपरोक्त संदर्भित सुधारक पगों का महत्व है, सार रूप में यह कहा जा सकता है कि सर्वोच्च महत्व सभी सम्बन्धित व्यक्तियों में सुरक्षा चेतना को उत्पन्न करना है।

अत्यन्त महत्वपूर्ण यह तत्व अन्य खतरे वाले उद्योगों पर भी समान रूप से लागू होता है। इस प्रकार के प्रत्येक उद्योग में सुरक्षा चेतना को बढ़ाने के लिये साधनों की खोज में गम्भीर प्रयत्न किया जाना चाहिये। विभिन्न उद्योगों में सुरक्षा समस्यायें विभिन्न स्वरूप ग्रहण करती हैं। परन्तु मूलभूत तत्व वह मनुष्य है, जो उद्योग का संचालन करता है। उद्योग में यदि मानव तत्व को आवश्यक चेतना के स्तर पर ले आया जाय, तो उद्योग का निर्जीव यंत्र स्वचालित रूप में अपनी रक्षा कर लेगा। मनुष्य मुख्य समस्या है और सभी सुरक्षा समस्या का वही केन्द्र है।

मुद्रक–टिप-टाप प्रिन्टर्स, २४/९१ बिरहाना रोड, कानपुर–१ फोन नं० ५३२३७